

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 21/2026 (Bank Case)

GCMS No.-2026/48

भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- एस.एम.ई.सी., एल.आई.सी. बिल्डिंग, छावनी चौराहा, कोटा (राज०) में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव।

— प्रार्थी / सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स कन्हैयालाल गिरिराज प्रसाद मित्तल प्रोपराईटर श्री जितेन्द्र मित्तल
पता: मकान नं० एल, नमृता आवास, 80 फीट रोड के पास, बजरंग नगर, कोटा
(राज.) 325201
(ऋणी / बंधककर्ता)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 16.03.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय :- एस.एम.ई.सी., एल.आई.सी. बिल्डिंग, छावनी चौराहा, कोटा (राज०) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने दिनांक 12.05.2009 को रूपये 5,50,000/- (अक्षरे: रूपये पाच लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे 1) **(Hypothecation of Movable Properties) Please mention all the hypothecated properties viz. current assests including stocks, stocks in trade recivables. Consumable stores and spares and entire current assest and hypothecated movable plant and machinery etc. of the company mentioned in the documents. Hypothecation of Stock and Book Debts.**

2) **(Equitable Mortgage of Immovable Properties) Please mention the particulars of the immovable properties mortgaged to the bank as stated in the documents having reference to the mortgagage documents/deeds** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.07.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 9,70,464/-रूपये (अक्षरे:- नो लाख सत्तर हजार चार सौ चौषठ रूपये मात्र) दिनांक 07.10.2025 तक व से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस

प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की

- 1) **(Hypothecation of Movable Properties) Please mention all the hypothecated properties viz. current assets including stocks, stocks in trade receivables. Consumable stores and spares and entire current asset and hypothecated movable plant and machinery etc. of the company mentioned in the documents. Hypothecation of Stock and Book Debts.**
- 2) **(Equitable Mortgage of Immovable Properties) Please mention the particulars of the immovable properties mortgaged to the bank as stated in the documents having reference to the mortgage documents/deeds** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब-कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2026 को सुनाया गया।



(पीयूष कुमारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)